रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003—25

REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—25

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18082025-265467

CG-DL-W-18082025-265467

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 16—अगस्त 22, 2025 (श्रावण 25, 1947)

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 16—AUGUST 22, 2025 (SRAVANA 25, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	373
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	783
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	7
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	4193
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	2707
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	1
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	4059
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	373
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	783
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence...........	7
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	4193
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations...	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2707
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	4059
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2025

सं.10-9/2025-यू.3(ए):—जबकि, अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार, जगतीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड में एक ऑफ-कैंपस केंद्र प्रारंभ करने हेतु यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया।

2. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 17.06.2025 के अपने पत्र संख्या 40-4/2025 (सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि स्थायी समिति द्वारा आवेदन की जाँच की गई। संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों के आधार पर, समिति ने कुछ शर्तों के साथ अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु को आशय पत्र [एलओआई] जारी करने की अनुशंसा की।

3. और जबकि, यूजीसी विनियम, 2023 के खंड 8 (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु को इस शर्त पर आशय पत्र (एलओएल) जारी किया कि सम विश्वविद्यालय संस्थान, जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड में ऑफ-कैंपस शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर छात्र की संख्या के अनुसार आवश्यक फर्नीचर, पुस्तकें, कंप्यूटर उपकरण आदि की खरीद का वैध प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

4. और आगे, जबकि, रजिस्ट्रार, अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु ने दिनांक 04.07.2025 के पत्र द्वारा आशय पत्र की शर्तों की पूर्ति के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सत्यापन और सलाह हेतु यूजीसी को प्रेषित किया गया। यूजीसी ने दिनांक 18.07.2025 के पत्र संख्या 40-4/2025 (सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि स्थायी समिति द्वारा अनुपालन रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई।

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, एदतद्वारा यूजीसी की सलाह पर, अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु को जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने का अनुमोदन प्रदान करता है।

6. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचनाओं तथा समय-समय पर जारी यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों का अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयम्बटूर, तमिलनाडु द्वारा पालन किया जाना जारी रहेगा।

पूर्णेंदु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 अगस्त 2025

संकल्प

सं. 27-11011/2/2020-हिंदी—नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के कार्यकाल की समाप्ति पर, भारत सरकार एतद्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करती है:-

1) गठन:

इस समिति के निम्नलिखित सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य होंगे:—

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री	अध्यक्ष
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य

क) संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य:

i.	श्री बलभद्र माझी, संसद सदस्य (लोक सभा) ग्राम व डाकघर-फाटकी, जिला-नबरंगपुर, ओडिशा-764077	सदस्य
ii.	श्री लुम्बाराम चौधरी, संसद सदस्य (लोक सभा) 302, सरस्वती अपार्टमेंट, डॉ बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली-110001	सदस्य
iii.	श्री नरहरी अमीन, संसद सदस्य (राज्य सभा) एबी-89, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011	सदस्य
iv.	श्रीमती ममता मोहंता, संसद सदस्य (राज्य सभा) डाकखाना-नंगलबेंटा पोखरिया, जिला-मयुरभंज, ओडिशा-757033	सदस्य

ख) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य:

v.	डॉ. अनिल सुखदेवराव बोंडे, संसद सदस्य (राज्य सभा) फ्लैट नं० सी-304, स्वर्ण जयंती सदन, डॉ. बी. डी. मार्ग, नई दिल्ली-110001	सदस्य
vi.	डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी, संसद सदस्य (राज्य सभा) सी-603, स्वर्ण जयंती सदन, डॉ बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली-110001	सदस्य

ग) केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के प्रतिनिधि:

vii.	श्रीमती ममता गांधी, ओ-39, लाजपत नगर-2, अपर ग्राउंड फ्लोर, नई दिल्ली-110024	सदस्य

घ) विश्व हिंदी परिषद के प्रतिनिधि:

viii.	श्री राहुल देव, एस-32, प्रथम तल, व्यावसायिक परिसर, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016	सदस्य

ड़) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य:

ix.	डॉ. वाई. एस. रायबागी, 738/3, शेषागिरी, वाई. एस. कॉलोनी, विद्यागिरी, धारवाड-580004	सदस्य
x.	श्री उमेश पुरोहित द्वारा टी. आर. पाटिल, 111, सिल्वर टाउन, गोकुल रोड, हुबली, कर्नाटक-580030	सदस्य
xi.	डॉ. गायत्री खंडते, द्वारा विजय डी. क्षीरसागर, प्लॉट नं० 43, डॉ. राधाकृष्णन नगर, गोकुल रोड, हुबली, कर्नाटक-580030	सदस्य
xii.	डॉ. सुधीर पाण्डेय, 55-सिद्धार्थ अपार्टमेंट, इंदर एंक्लेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087	सदस्य

च) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य :

xiii.	डॉ पचलूर अशोकन, जेए निवास, पचलूर, तिरूवनंतपुरम, केरल-695027	सदस्य
xiv.	श्री चेतन मोहन जोशी, 152 केसिया, ओमेक्स फेज 3, न्यू चंडीगढ़, जिला एस.ए.एस. नगर, पंजाब-140901	सदस्य

xv.	श्री आयुष शर्मा, एफ-158, सुभाष नगर, ईस्ट एक्सटेंशन, भीलवाड़ा (राजस्थान)-311001	सदस्य

अन्य सरकारी सदस्य

xvi.	सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	सदस्य
xvii.	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
xviii.	अपर सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	सदस्य
xix.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
xx.	महानिदेशक, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम, हरियाणा	सदस्य
xxi.	महानिदेशक, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु	सदस्य
xxii.	महानिदेशक, सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान, कपूरथला, पंजाब	सदस्य
xxiii.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
xxiv.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
xxv.	संयुक्त सचिव/वैज्ञानिक 'जी'/उप महानिदेशक, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नई दिल्ली	सदस्य सचिव

2) समिति का कार्य:

यह समिति सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और सम्बद्ध मामलों पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को सलाह देगी।

3) समिति का कार्यकाल:

समिति का कार्यकाल उसके पुनर्गठन की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगा, परंतु;

(क) समिति में नामित संसद सदस्य उनकी संसद की सदस्यता समाप्त होने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक ही समिति के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे उस पद पर रहेंगे जिसके कारण वे समिति के सदस्य बने हैं; और

(ग) समिति के कार्यकाल के मध्य उत्पन्न हुई रिक्तियों के लिए नियुक्त किए गए सदस्य का कार्यकाल, तीन वर्ष के कार्यकाल की केवल शेष अवधि तक ही रहेगा।

4) सामान्य:

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और समिति की बैठकें केवल दिल्ली में ही आयोजित की जाएंगी।

5) यात्रा तथा अन्य भत्ते:

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 03 फरवरी, 2006 के कार्यालय ज्ञापन सं.11/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों में नामित 15 गैर-सरकारी सदस्यों में 06 संसद सदस्य होते हैं, अत: यात्रा/दैनिक भत्ता प्रावधान को अधिक स्पष्ट करते हुए निम्न प्रावधान किया जाता है :—

(क) समिति में नामित सांसदों को "संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

(ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं.11/22034/04/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशानिर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, भारत निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डॉ. पंकज सक्सेना
वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 30th July 2025

No.10-9/2025-U.3(A)—Whereas, Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu submitted an online application on the UGC Portal to start an off-campus centre at Jagjeetpur, Kankhal, Haridwar, Uttarakhand as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.

2. And whereas, UGC, vide its letter No.40-4/2025 (CPP-l/DU) dated 17.06.2025, informed that the application was examined through a Standing Committee. The Committee, after presentation of the Institution and based on the documents submitted, recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu with certain conditions.

3. And whereas, in exercise of the powers conferred by Clause 8 (6) of UGC Regulations, 2023, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (Lol) to Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu with condition that the Institution deemed to be University shall submit valid proof of purchase of required furniture, books, computers equipment etc. as per the student intake within a period of 3 years before starting an off-campus at Jagjeetpur, Kankhal, Haridwar, Uttarakhand.

4. And further whereas, the Registrar, Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu, vide letter dated 04.07.2025, submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI which was then sent to UGC for verification and advice. UGC, vide letter No. 40-4/2025 (CPP-l/DU) dated 18.07.2025, conveyed that the compliance report was accepted by the Standing Committee.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu to start an off -campus centre at Jagjeetpur, Kankhal, Haridwar, Uttarakhand.

6. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi – 110003, the 1st August 2025

RESOLUTION

No. 27-11011/2/2020-Hindi—On conclusion of tenure of the Hindi Advisory Committee of the Ministry of New and Renewable Energy, the Govt. of India hereby reconstitutes the Hindi Advisory Committee of the Ministry of New and Renewable Energy as under:-

1) Composition:

The following will be the Official and Non-official Members of the Samiti:

Minister for New and Renewable Energy	Chairman
Minister of State for New and Renewable Energy	Vice-Chairman

Non-Official Members

a) Members of Parliament nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs:

i.	Shri Balabhadra Majhi, Member of Parliament (Lok Sabha) Village and PO: Phataki, District-Nabarangpur, Odisha, 764077	Member
ii.	Shri Lumba Ram Choudhary, Member of Parliament (Lok Sabha) 302, Saraswati Apartment, Dr.B. D. Marg, New Delhi-110001	Member
iii.	Shri Narhari Amin, Member of Parliament (Rajya Sabha) AB-89, Shahjahan Road, New Delhi-110011	Member
iv.	Smt. Mamata Mohanta, Member of Parliament (Rajya Sabha) PO: Nangalbenta Pokharia, Dist.: Mayurbhanj, Odisha–757033	Member

b) Members of Parliament nominated by Committee of Parliament on Official Language:

v.	Dr. Anil Sukhdeorao Bonde, Member of Parliament (Rajya Sabha) Flat No. C-304, Swarn Jayanti Sadan, Dr. B.D. Marg, New Delhi-110001	Member
vi.	Dr. Sumer Singh Solanki, Member of Parliament (Rajya Sabha) Flat No. C-603, Swarn Jayanti Sadan, Dr. B. D. Marg, New Delhi-110001	Member

c) Representative of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad:

vii.	Smt. Mamta Gandhi, O-39, Lajpat Nagar-2, Upper Ground Floor, New Delhi-110024	Member

d) Representative of Vishwa Hindi Parishad:

viii.	Shri Rahul Dev S-32, First Floor, Commercial Complex, Green Park, New Delhi-110016	Member

e) Members nominated by the Ministry of New and Renewable Energy:

ix.	Dr. Y. S. Raibagi 738/3, Sheshagiri, Y. S. Colony, Vidyagiri, Dharwad-580004	Member
x.	Sh. Umesh Purohit, C/o T. R. Patil, 111, Silver Town, Dr. Radhakrishnan Nagar, Gokul Road, Hubli, Karnataka-580030.	Member
xi.	Dr. Gayatri Khandate, C/o Vijay D Kshirsagar, Plot No. 43, Gokul Road, Hubli, Karnataka-580030	Member
xii.	Dr. Sudhir Pandey, 55- Siddharth Apartment, Inder Enclave, Paschim Vihar, New Delhi-110087	Member

f) Members nominated by Deptt. of Official Language,
Ministry of Home Affairs:

xiii.	Dr. Pachalloor Asokan JA Nivas, Pachalloor, Thiruvananthapuram, Kerala-695027	Member
xiv.	Shri Chetan Mohan Joshi 152, Cassia, Omaxe Phase 3, New Chandigarh, District S.A.S. Nagar, Punjab-140901	Member
xv.	Shri. Ayush Sharma F-158. Subhash Nagar, East Extension, Bhilwara, Rajasthan-311001	Member

Other Official Members

xvi.	Secretary, Ministry of New and Renewable Energy	Member
xvii.	Secretary, Department of Official Language	Member
xviii.	Addl. Secretary, Ministry of New and Renewable Energy	Member
xix.	Joint Secretary, Department of Official Language	Member
xx.	Director General, National Institute of Solar Energy, Gurugram, Haryana	Member
xxi.	Director General, National Institute of Wind Energy, Chennai, Tamil Nadu	Member
xxii.	Director General, Sardar Swarn Singh National Institute of Bio-Energy, Kapurthala, Punjab	Member

xxiii.	Chairman and Managing Director, Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. New Delhi	Member
xxiv.	Chairman and Managing Director, Solar Energy Corporation of India Ltd., New Delhi	Member
xxv.	Joint Secretary/ Scientist 'G'/ Dy. Director General, Ministry of New and Renewable Energy	Member Secretary

2) Functions of the Samiti:

The Samiti shall advise the Ministry of New and Renewable Energy on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes.

3) Tenure of the Samiti:

The term of the Samiti will be three years from the date of its formation, provided that:

(a) A Member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a member of the Samiti as soon as he/she ceases to be a Member of Parliament;

(b) Ex-officio members of the Samiti shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti; and

(c) Members appointed against mid-term vacancies shall hold office only for the residual period of the three year's tenure.

4) General

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi and meetings of Samiti will be held in Delhi only.

5) T.A. and Other Allowances:

The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, vide their Office Memorandum no.II/20034/04/2005-OL (Policy-2) dated 3rd February, 2006 has stated that as the 15 non-official members include 6 Members of Parliament, nominated in the Hindi Salahkar Samitis constituted by Central Ministries/Departments, so the following provision has been made to clarity about travelling/daily allowances:-

(a) The Members of Parliament nominated in the Samiti will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance as per the provisions of the "Member of Parliament (Salary, Allowance and Pension) Act, 1954", as amended from time to time and rules made accordingly.

(b) Travelling Allowance and Daily Allowance to other non-official members of the Samiti will be paid as per guidelines contained in the Department of Official Language O.M. No. /22034/04/86-OL (A-2) dated 22nd January, 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

It is ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the members of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of New and Renewable Energy, all State Governments and U.T. Administrations, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat., Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, NITI Aayog, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Election Commission of India, Union Public Service Commission and all Ministries and Departments of the Govt. of India.

It is also ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Dr. PANKAJ SAXENA
Scientist-'G'

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

KSHITIZ MOHAN Digitally signed by KSHITIZ MOHAN Date: 2025.08.18 16:32:19 +05'30'